न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2495–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.7.2014 पारित द्वारा तहसीलदार आष्टा, प्रकरण कमांक 14/अ–13/13–14.

1. भगवत सिंह पिता लाड़ सिंह,
2. बने सिंह पिता भगवत सिंह,
3. मोर सिंह पिता भगवत सिंह,
4. धीरत सिंह पिता भगवत सिंह,
5. रघुवीर सिंह पिता बने सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम दुपाड़िया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

राजमल पिता नन्नूलाल,
निवासी ग्राम दुपाड़िया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर

.....अनावेदक

श्री त्रिभुवन शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 10/6/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार आष्टा द्वारा पारित आदेश 14.7.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के अंतर्गत तहसीलदार आष्टा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के स्वामित्व की भूमि ग्राम दुपाड़िया स्थित सर्वे कमांक 283, 284 एवं 285/1 रकबा 3.820 हैक्टेयर है । अनावेदक की भूमि में से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ग्राम मून्दीखेड़ी से लेकर ग्राम दुपाड़िया के नाले तक बरसाती पानी निकलने का नाला बना हुआ

है, जिससे वर्षो से बरसाती पानी निकलता है । दिनांक 27.5.14 को जहां अनावेदक की भूमि की सीमा समाप्त होती है, वहां नाले में पत्थर डालकर तथा मिट्टी डालकर नाला अवरूद्ध कर दिया गया है । अतः उक्त अवरूद्ध नाले से तत्काल पानी की निकासी चालू कराई जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त नाले के अवरोध को तत्काल हटाये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–13/13–14 दर्ज किया जाकर, दिनांक 14.7.2014 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नाले से अवरोध हटाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिति में एक पक्षीय तौर से उनके पीठ–पीछे स्थल निरीक्षण कर नाले से अवरोध हटाये जाने का अंतरिम आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि नक्शे में नाला पृथक स्थान पर दर्शाया गया है और प्रश्नाधीन नाले पर अनावेदक का मकान बना है, इस तथ्य का उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है । अंत में कहा गया कि आवेदकगण द्वारा नाले में अवरोध नहीं किया गया है, बल्कि अनावेदक का मकान बनने से नाले में अवरोध उत्पन्न हुआ है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और अंतिम रूप से प्रकरण का निराकरण होना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । इस आधार पर कहा गया कि यह निगरानी प्री–मेच्योर होने से निरस्त की जाये । यह भी कहा गया कि बरसात का मौसम आ रहा है, और यदि अनावेदक की कृषि भूमि में पानी भर गया तो, उसे अपूर्णनीय क्षति होगी ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में नाला अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वही आपत्तियां उठाई गई

है, जो कि इस न्यायालय में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों के दौरान प्रस्तुत की गई हैं । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्तियों पर विचार करते हुये अंतरिम आदेश पारित कर बारिश के पानी के निकासी मार्ग से अवरोध हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित कर सकते है कि उनके द्वारा नाले पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार 3 माह में प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील आष्टा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2014 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी इस निर्देश के साथ निरस्त की जाती है कि तहसीलदार 3 माह में प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर